न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 07/2018

	अपीलान्ट	बनाम		रेस्पोडेन्ट :–
1	ईश्वरसिंह पुत्र डूंगरसिंह		1	खेमा पुत्र रावताजी
2	हडमतसिंह पुत्र डूंगरसिंह		2	जोधाराम पुत्र केवदाजी
3	जब्बरसिंह पुत्र डूंगरसिंह		3	वीराराम पुत्र केवदाजी
4	विक्रमसिंह पुत्र तेजसिंह		4	लालुदेवी पत्नी केवदाजी
5	जसवन्त पुत्र तेजसिंह		5	माला पुत्र रघुनाथजी जातिगण कलबी निवासीगण जालमपुरा तहसील रेवदर
6	नारायणसिंह पुत्र तेजसिंह		6	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेवदर
7	रसाद कंवर पत्नी धुडासिंह		7	भंवर कुंवर पुत्री भेमासिंह पत्नी करणसिंह जाति राजपूत निवासी करड़ा तहसील रानीवाड़ा
8	भंवरसिंह पुत्र धुडासिंह			
9	नाथुसिंह पुत्र धुडासिंह			
10	इन्दरसिंह पुत्र धुडासिंह		8	कैलाश कुंवर पुत्री नैनसिंह जाति राजपूत निवासी सिलासन तहसील रानीवाडा
11	मनोहरसिंह पुत्र धुडासिंह			
12	ओखासिंह पुत्र सरदारसिंह		9	अनेक कुंवर पुत्री नैनसिंह जाति राजपूत निवासी सिलासन तहसील रानीवाड़ा
13	शम्भूसिंह पुत्र भूरासिंह			
14	भारतसिंह पुत्र भूरासिंह			
15	शैतानसिंह पुत्र भूरासिंह			
16	भंवरसिंह पुत्र अभयसिंह			
17	नटवरसिंह पुत्र अभयसिंह			
18	अनोपसिंह पुत्र अभयसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण वड़वज तहसील रेवदर			

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री सुरेशचन्द्र सुराणा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री ऋषि माथुर, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 व 5

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

—: निर्णय :—

दिनांकः—29.6.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2017/688—89 दिनांक 24.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किए बिना तथा बिना विधिक प्रक्रिाय की पालना किए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित करने से पूर्व न तो अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया तथा न ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया। जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। जैर अपील वादस्थ भूमि में से रास्ता प्रदान करने पर अपीलाण्ट की भूमि दो भागों में विभक्त हो जाएगी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का की मौका फर्द रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाण्ट की भूमि में रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। इस प्रकार जैर अपील आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, उस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर भी नहीं है। विधि अनुसार मौका निरीक्षण की कार्यवाही स्वयं तहसीलदार के द्वारा की जानी थी, जो नहीं की गई। इस प्रकार तकनीकि रूप से भी जैर अपील आदेश अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं देते हुए अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किए है, जिससे न केवल अपीलाण्ट के हक हकूक प्रभावित हुए है, बल्कि अपीलाण्ट के प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों का भी हनन हुआ है। इन समस्त कारणों से जैर अपील आदेश अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित रास्ता अभियान में मौके पर चल रहे रास्ते को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने के निर्देश जारी किए है, उन्ही निर्देशों की पालना में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जांच की जाकर मौके पर चले रहे रास्तों को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर पारित आदेशानुसार कार्यवाही किये जाने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट की भूमि में मौके पर रास्ता सुचारू है, जो जालमपुरा से बडगांव जाता है, जिससे सभी आवागमन करते है। ग्राम पंचायत द्वारा इस रास्ते पर कंकरीट, झींकरा आदि डाल कर नरेगा में रास्ता निर्माण किया है। इसके

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अतिरिक्त मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका फर्द रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, उस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है, इस कारण अपीलाण्ट का यह कथन असत्य है कि तहसीलदार द्वारा मौका जांच नहीं की गई हो, बल्कि तहसीलदार, भू0अ0नि0 एवं पटवारी आदि द्वारा जांच कर रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपीलाण्ट की भूमि कम नहीं हुई है, बल्कि उक्त रास्ता अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में ही रखा गया है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को भी पक्षकार बनाया है, जिसकी मृत्यु अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो चुकी है। इस कारण भी अपील मृतक के विरूद्ध प्रस्तुत होने से भी खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण जांच के पश्चात जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का रायपुर द्वारा तहसीलदार रेवदर के मार्फत रिपोर्ट प्रस्तुत कर मौके पर चल रहे रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार रेवदर द्वारा मजमें आम में जांच की जाकर सम्बन्धित खातेदारान्की सुनवाई की, जिन्होने रास्ता दर्ज कराने हेतु इन्कार किया, किन्तु कदीमी रास्ता होना प्रमाणित होने के कारण तहसीलदार द्वारा उक्त रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को अग्रेसित कर राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज कराने का आदेश पारित कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का एवं तहसीलदार द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें यह अंकित किया कि ग्राम जालमपुरा के खसरा नम्बर 124, 118, 129, 130, 127 में से मौके पर रास्ता चालू था, जिसे खातेदारान् द्वारा प्रवेश पर धोरा लगा कर बन्द किया है, जबकि पंचायत द्वारा इस भूमि में से झींकरा डाल कर रास्ता निर्माण करवाया गया है। इस प्रकार उक्त रास्ता कदीमी मार्ग की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.(3)राज./6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में जैर अपील वादस्थ भूमि में से रास्ते के रूप में उपयोग में ली जाने वाली भूमि को गै0मु0 रास्ते के रूप में खातेदारी भूमि में ही दर्ज करने के आदेश पारित किए। चूंकि राज्य सरकार द्वारा मौके पर रास्ता होने के बावजूद मात्र राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण सम्बन्धित खातेदार द्वारा रास्ता उपलब्ध नहीं करवाने आदि समस्याओं के निराकरण हेतु व्यापक जनहित में उक्त दिशा–निर्देश प्रदान किए, ताकि कृषकों को उनकी खातेदारी जोत में आवागमन में होने वाली परेशानीयों से निज़ात मिल सके, इस हेतु उक्त दिशा–निर्देश पारित किए है। जिसमें वर्णित समस्यों के समाधान हेतु जो कार्यवाही निर्धारित की गई है, उन्ही निर्देशों

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की पालना करते हुए तहसीलदार द्वारा रास्ते के अंकन हेतु प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा उसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी द्वारा बहुलताजन्य जटिलता के निवारण हेतु जैर अपील आदेश के जरिये विभिन्न खसरा नम्बरान् की भूमि, जो एक ही गांव में स्थित थी, में से मौके पर कदीम से चल रहे रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ते के रूप में खातेदार की खातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित किए। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट का मुख्य उज्र यह रहा है कि उक्त कार्यवाही अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में की गई है तथा उन्हे सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा जो मजमें आम में जांच की गई, उसमें यह अंकित किया कि प्रभावित खातेदार रास्ता इन्द्राज कराने हेतु सहमत नहीं है। इससे इस तथ्य को बल मिलता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर जैर अपील आदेश के सम्बन्ध में जो कार्यवाही हुई है, वह अपीलाण्ट्स की उपस्थिति में ही की गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कदीमी रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किए है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2017/688–89 दिनांक 24.05.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर